न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या –12/2019

वादी

कालूसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह जी
जाति राजपूत निवासी करवाड़ा
तहसील रानीवाडा जिला जालोर

प्रतिवादीगण

1. शेरसिंह पुत्र गणपतसिंहजी
2. मानसिंह पुत्र गणपतसिंहजी
3. पप्पूसिंह पुत्र गणपतसिंहजी जातियान राजपुत निवासी करवाडा तहसील रानीवाडा
4. तहसीलदार रानीवाडा
5. उप पंजीयक रानीवाडा
6. हल्का पटवारी करवाडा
7. शाखा प्रबंधक जालौर सहकारी कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादी अधिवक्ता श्री पुखराज विश्नोई।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
3. राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक 09.03.2021

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में वाद के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा करवाडा तहसील रानीवाडा की खातेदारी शाम लाती कृषि भूमि खसरा नंबर 568 रकबा 3.68 हैक्टर किस्म भूमि, बारानी सोयम खसरा नंबर 577 रकबा 4.22 हैक्टर जाव सोयम कुल रकबा 7.90 हैक्टर आयी हुई है उक्त खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में गणपत सिंह पुत्र वीर सिंह कौम राजपूत सा देह खातेदार दर्ज है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 पूर्व खातेदार स्वर्गीय गणपत सिंह जी के हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान उत्तराधिकारी संतान हैं तथा आपस मे भाई–भाई हैं। गणपतसिंहजी के स्वर्गवास दिनांक 15–12–2016 को हो चुका है जिसका फौतेदगी नामांतरण संख्या 737 दिनांक 20/04/2018 को राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ है। उक्त सामलाती कृषि भूमि पर सामलाती होने से उक्त कृषि भूमि के पूर्व स्वामी खातेदार स्वर्गीय गणपत सिंह के समय से ही विभाजन भौतिक रूप से नही किया गया है तथा राजस्व रिकोर्ड में भी अभी तक स्वर्गीय गणपत सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:09:02 IST
Reason: SelfAttested

जी के वफात के पश्चात नामान्तकरण उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 भाई के नाम विरासत नामांतरण दर्ज किया जा चूका है तथा वादी की माताजी का स्वर्गवास वादी के पिता से लगभग 30 वर्ष पूर्व हो चूका है इससे वादी को अपने नेशनल शेयर एवं हक हिस्से की कृषि भूमि का विभाजन कर उसका उपयोग उपभोग एवं कब्जा काश करने में भयंकर असुविधा उत्पन्न की जा रही है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से आपस में सगे भाई है तथा धर्म से हिंदू है इसलिए हिंदू विधि लागू होती है। तथा उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व दिनांक 12/10/2018 को वादी ने उनके पिता स्व. गणपतसिंह की वफात हो जाने पर दावा बिना नामान्तकरण दर्ज करने पर दो बहिनो उसव कंवर एवं पारस कंवर सहित 1/6–1/6 हिस्से की खातेदारी अलग अलग करने का दावा प्रस्तुत किया था जिसके वाद संख्या 29/2018 कालूसिंह बनाम शैरसिंह वगैरा हैं। तथा उक्त प्रकरण दिनांक 01/01/2019 को वादी को प्रतिवादी संख्या 1 सें 3 ने मिलकर राजीनामा करते हुए यह आश्वासन दिया बाकि पहले मृतक स्व. पिताजी गणपतसिंह के स्थान पर नामान्तकरण दर्ज करवाकर मौके पर वाद पत्र मे वर्णित हक हिस्से अनुसार रास्ते की और मुखान्वित होकर आवागमन की सुविधा मुक्त विधि सम्मत बराबर हक हिस्से का विभाजन आम सहमति से धारा 53(2) आरटी एक्ट के तहत मौके पर रास्ते की संविधा को देखते हुए रास्ते से लम्बवत बराबर 24 हिस्सो के टुकडे करते हुए बंटवाडा 4 गांव वालो के रूबरू सहमति करते हुए विभाजन कर देगे जिस पर भरोसा करते हुए वादी ने नया विवाद होने पर नयावाद पेश करने की अनुमति लेकर दावा जरिये विड्रोल खारिज करवाया था की इसलिए नये वाद की अनुमति वाद पेश है।

2. दिनांक 28/05/2019 को वादी अपने सामलाती पुश्तैनी कृषि भूमि की वर्षा ऋतु आने वाली होने पर सूड कर देखभाल कर रहा था कि प्रतिवादीगणो ने अवैध प्रवेश कर वादी के शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त एवं भूमि के उपयोग उपभोग मे जबरन दखलंदाजी कर बिना विभाजन किये ही अवैध बैचान की अपरिचित क्रेताओ के नाम नामान्तकरण दर्ज करवाने की धमकी देने पर पैदा हुआ तथा आम सहमति एवं प्रेमभाव से सामलाती कृषि भूमि का बंटवाडा नही करने देने तथा बिना विभाजन करवाये ही उक्त सामलाती कृषि भूमि को अपरिचित क्रेता को बैचान कर वादी के 1/4 हिस्से की कब्जा शुदा बंट की जमीन पर वादी को बेदखल कर अवैध कब्जा करने व विधि विरूद्व बिना कब्जा काश्त के अपरिचित क्रेताओ के नाम सरकारी मुलाजिमो से मिलावट कर अवेध तरीके से नामान्तकरण दर्ज कराने की ऐलानियां धमकी देने पर वाद कारण पैदा हुआ जो आज दिन तक बदस्तुर लगातार जारी हैं। इसलिए वाद बाबत विभाजन करने सामलाती पुश्तैनी कृषि भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमानजी के समक्ष अन्दर म्याद प्रस्तुत है।

3. वाद पत्र मे वादी की प्रतिवादीगणो के विरूद्व निम्न अनुतोष चाहा गया हे, कि मौजा करवाडा तहसील रानीवाडा मे स्थित सामलाती पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 568 रकबा 3.68 हैक्टर किस्म भूमि बारानी सोयम को माफिक नजरी नक्शा परिशिष्ठ अ मे दर्शाये हरे रंग 1/4 हिस्से का पडौसी खातेदारी धर्मा राहड के पडौस मे लगतो लगत उक्त खसरा नम्बर 568 के पश्चिम दिशा की तरफ उत्तर से दक्षिण दिशा की और 1/4 –1/4 हिस्सा का सार्वजनिक रास्ते [illegible] र जमीन के सामान्तर हिस्से का विभाजन बाई मिट्स एण्ड ब[illegible] के आधार [illegible] वादी के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 सें 3 सादिर फरमावें तथा [illegible] दूसरी कृषि भूमि खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:09:02 IST
Reason: SelfAttested

577 रकबा 4.22 हैक्टर आराजी कृषि भूमि भी नजरी नक्शा मे दर्शाये हरे रंग 1/4 हिस्से अनुसार उक्त खसरा नम्बर 577 के दक्षिण दिशा की तरफ गै.मु. नाडी सरकारी जमीन से लगतो लगत 1/4 हिस्से की कृषि भूमि का पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ वाली भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस के सिद्वान्त के आधार पर मौके पर कब्जा काश्त एवं राजस्व एवं गै.मु. नाले व गै.मु. गोचर को लगते हुए दोनो जमीन में आवागमन के मौके पर उपलब्ध रास्ते के सुखाधिकार को देखते हुए नोश्नल शेयर अनुसार 1/4 –1/4 हिस्से बहिस्सा बराबर बराबर विभाजन की डिक्री बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 किया जाने का आदेश माफिक जरीये नक्शा परिशिष्ठ अ मे दर्शाये रंगो अनुसार पारित किया जावें। माफिक विभाजन आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस मे तरमीम करने हेतु तहसीलदारजी रानीवाडा पर तहरीर जारी फरमावे। माफिक विभाजन डिक्री वादी के 1/4 हिस्से की दोनो खसरा नम्बर 568 एवं 577 के कुल रकबे मेसे अलग अलग खेतो मे अलग अलग जगह 1/6 – 1/4 हिस्से की विभाजन शुदा रकबे के शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त एवं भूमि के उपयोग उपभोग मे प्रतिवादीगण बल प्रयोग कर जबरन दखलंदाजी न तो स्वंय करे ना ही किसी अन्य से करावें वादी के दोनो खसरा नम्बरान मे से 1/4 – 1/4 हिस्से की बंटवाड शुदा आराजी मे आराजी से कृषि काश्त करने से रोके नही पुश्तैनी लाईट कन्नेक्शन से खेतो की सिंचाई करने से रोके नही, रास्ते की भूमि मे कोई पक्का निर्माण नही करें, किसी अपरिचित क्रेताओं को बिना विभाजन भूमि का बैचान दस्तावेज पुजीयन नही करे, नाही किसी अपरिचित क्रेता के नाम बिना कब्जा काश्त के नामान्त करण दर्ज नही करे। मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण तमाम सादिर फरमावें।

4. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 की ओर से वकील श्री मोहनलाल विश्नोई द्वारा वकालतनाम पेश किया व प्रतिवादी संख्या 5 से 6 के समन बाद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5. दिनांक 19.12.2019 को न्यायालय द्वारा दोनों पक्षो के अधिवक्ताओ के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा करवाडा के खसरा नम्बर 568 रकबा 3.68 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 577 रकबा 4.22 हैक्टेयर जुमले रकबा 7.90 हैक्टेयर के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2019/695 दिनांक 31.12.2019 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक 5795 दिनांक 13.02.2020 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

6. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को पढकर सुनाया गया । दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की गई। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 13:09:02 IST
Reason: SelfAttested

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित नाम)	लगान राशि
1.	शैतानसिंह पुत्र गणपतसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन JCCB शाखा रानीवाडा	568	3.68	0.9100	बा. सो.	शैतान सिंह	1.82
		577	4.22	0.0500	चा. दो.		1.25
				0.9850	जा. दो.		7.88
2.	कालूसिंह पुत्र गणपतसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन JCCB शाखा रानीवाडा	568	3.68	0.9100	बा. सो.	कालू सिंह	1.82
		577	4.22	0.0500	चा. दो.		1.25
				0.9850	जा. दो.		7.88
3.	मानसिंह पप्पूसिंह पि. गणपतसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन JCCB शाखा रानीवाडा	568	3.68	1.8200	बा. सो.	मान सिंह, पप्पू सिंह	3.64
		577	4.22	0.1000	चा. दो.		2.50
				1.9700	जा. दो.		15.76
4.	शैतानसिंह पप्पूसिंह कालूसिंह मानसिंह पि. गणपतसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन JCCB शाखा रानीवाडा	568	3.68	0.04	बा. सो.	रास्ता	0.08
		577	4.22	0.02	चा. दो.		0.50
				0.06	जा. दो.		0.48

7. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमी या नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 से सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 13:09:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
1. कालूसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह जी जाति राजपूत निवासी करवाड़ा तहसील रानीवाडा जिला जालोर	बनाम	1. शेरसिंह पुत्र गणपतसिंहजी 2. मानसिंह पुत्र गणपतसिंहजी 3. पप्पूसिंह पुत्र गणपतसिंहजी जातियान राजपुत निवासीयान करवाडा तहसील रानीवाडा 4. तहसीलदार रानीवाडा 5. उप पंजीयक रानीवाडा 6. हल्का पटवारी करवाडा 7. शाखा प्रबंधक जालोर सहकारी कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 12/2019

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री पूखराज विश्नोई उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर वकील श्री मोहनलाल विश्नोई उपस्थित प्रतिवादी संख्या 4 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी सं0 5 से 7 के विरूद्ध अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित नाम)	लगान राशि
1.	शैतानसिंह पुत्र गणपतसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन JCCB शाखा रानीवाडा	568	3.68	0.9100	बा. सो.	शैतान सिंह	1.82
		577	4[illegible]	0.0500	चा. दो.		1.25
				[illegible].9850	जी. दो.		7.88

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:09:02 IST
Reason: SelfAttested

2.	कालूसिंह पुत्र गणपतसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन JCCB शाखा रानीवाडा	568	3.68	0.9100	बा. सो.	कालू सिंह	1.82
		577	4.22	0.0500	चा. दो.		1.25
				0.9850	जा. दो.		7.88
3.	मानसिंह पप्पूसिंह पि. गणपतसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन JCCB शाखा रानीवाडा	568	3.68	1.8200	बा. सो.	मान सिंह, पप्पू सिंह	3.64
		577	4.22	0.1000	चा. दो.		2.50
				1.9700	जा. दो.		15.76
4.	शैतानसिंह पप्पूसिंह कालूसिंह मानसिंह पि. गणपतसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन JCCB शाखा रानीवाडा	568	3.68	0.04	बा. सो.	रास्ता	0.08
		577	4.22	0.02	चा. दो.		0.50
				0.06	जा. दो.		0.48

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमो नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 09.03.2021 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	**रूपया**	**पैसा**	**मुद्दयलाह**	**रूपया**	**पैसा**
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	0	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	2	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	5	00	**मौजाना**	2	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:09:02 IST
Reason: SelfAttested